

18/10/23

पगवली पेश हुई। वसुलाप उपलब्ध
प्रथना पत्र से सम्बंधित मूल रूपील
का निर्णय हो चुका है। अब इस
प्रथना पत्र में कोई कार्यवाही किया
जाना अपेक्षित नहीं है। अतः प्रथना
पत्र खारीज किया जाता है। पगवली
के लिये शुभार होकर नम्बर ले कम
होकर डारिकल दफ्तर में।

